

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

No. 106]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 2009/पौष 26, 1930

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 2009/PAUSA 26, 1930

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2009

का.आ. 181(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, घरेलू प्रयोग के लिए 9000 किलो कैलोरी/घन्टा निर्धारित क्षमता वाले सितारा लेबलित, वाष्प संपीडन प्रकार के वातानुकूलकों के लिए ऊर्जा खपत के मानकों को इस प्रकार निर्दिष्ट करती है -

(1) भारत में निर्मित अथवा वाणिज्यिक तौर पर क्रय अथवा विक्रय किए गए 9000 कि० कैलोरी/घन्टा तक की शीतलन क्षमता वाले वाष्प संपीडन कक्ष-वातानुकूलक

(i) खंड 10.4 में भारतीय मानक 1391 (भाग 1): 1992 के शीर्षक "अधिकतम प्रचालन स्थितियां परीक्षण" यूनिटरी वातानुकूलकों के लिए और स्प्लिट वातानुकूलकों के लिए भारतीय मानक 1391 (भाग 2): 1992 के "अधिकतम प्रचालन स्थितियां परीक्षण" की अपेक्षाओं को सभी सुधारों के साथ पालन करेंगे।

(ii) या तो बी.आई.एस. प्रमाणन चिह्न हो अथवा आई.एस./आई.एस.ओ. 9000 या इससे अधिक के प्रति प्रमाणित हो।

(2) कक्ष वातानुकूलकों पर लगाये जाने वाले लेबल पर एक सितारा के अन्तराल में अधिकतम पांच सितारे दिखाई देंगे। ये वातानुकूलक अपनी ऊर्जा दक्षताओं के आधार पर सितारा एक से सितारा पांच तक निर्धारित होंगे।

2. सितारा रेटिंग अथवा सितारा स्तर योजना — (1) कक्ष वातानुकूलक का सितारा स्तर ऊर्जा दक्षता अनुपात द्वारा निर्धारित होगा जो कि सारणी 2.1 अथवा 2.2 अथवा 2.3 से प्राप्त किया जा सकेगा और जो इसके निर्माण के वर्ष, व्यापारिक क्रय अथवा विक्रय पर निर्भर करता है।

क्र.सं.	उत्पाद निर्मित/व्यापारिक रूप से खरीदा या बेचा गया	उपयोग की जाने वाली सारणी
1.	इन विनियमों के लागू होने के एक वर्ष के अन्दर	2.1
2.	सारणी 2.1 के अन्तर्गत पूरे किये समय के बाद एक वर्ष	2.2
3.	सारणी 2.2 के अन्तर्गत पूरे किये समय के बाद दो वर्ष	2.3

सारणी 2.1 : विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष तक विधिमान्य सितारा स्तर

सितारा लेबल	ऊर्जा कार्यकुशलता अनुपात (वाट/वाट)	
	न्यूनतम	अधिकतम
1 सितारा *	2.30	2.49
2 सितारा **	2.50	2.69

3 सितारा ***	2.70	2.89
4 सितारा ****	2.90	3.09
5 सितारा *****	3.10	

सारणी 2.2 : सारणी 2.1 के अधीन आनेवाली अवधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष तक विधिमान्य सितारा स्तर

सितारा लेबल	ऊर्जा दक्षता अनुपात (वाट/वाट)	
	न्यूनतम	अधिकतम
1 सितारा *	2.50	2.69
2 सितारा **	2.70	2.89
3 सितारा ***	2.90	3.09
4 सितारा ****	3.10	3.29
5 सितारा *****	3.30	

सारणी 2.3 : सारणी 2.2 के अधीन आनेवाली अवधि की समाप्ति की तारीख से दो वर्ष तक विधिमान्य सितारा स्तर

सितारा लेबल	ऊर्जा दक्षता अनुपात (वाट/वाट)	
	न्यूनतम	अधिकतम
1 सितारा *	2.70	2.89
2 सितारा **	2.90	3.09
3 सितारा ***	3.10	3.29
4 सितारा ****	3.30	3.49
5 सितारा *****	3.50	

(2) उपर्युक्त सारणियां विभिन्न सितारा स्तर बैंडों के लिए मान उपबंधित करती हैं। मॉडल के लिए चुने गए सितारा स्तर प्रत्येक सितारा स्तर बैंड के ऊर्जा दक्षता अनुपात के न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं पर आधारित होगा।

(3) सितारा स्तर बैंडों के लिए कोई सह्यता नहीं होगी। प्रत्येक परीक्षित उत्पाद सितारा स्तर बैंड की प्रभावी सीमा को अवश्य छूना चाहिए। परीक्षित उत्पादों का औसत स्तर प्रभावसीमा के बराबर या इससे बेहतर होना चाहिए। निर्माण सह्यता और अन्य परिवर्तनों का ध्यान सितारा स्तर का निर्धारण करते समय रखा जाएगा और पूर्णांकन करते समय निम्न बातों का भी ध्यान रखना होगा—

(i) संख्या को पूर्णांकित तथा पांच सार्थक अंकों तक अभिलेखित किया जाए शीतलन क्षमता का मान (kW) में पूर्णांकित किया जाएगा और तीन सार्थक अंकों तक अभिलेखित किया जाएगा।

(ii) ऊर्जा खपत (W) का मान भी पूर्णांकित किया जाएगा ( $\leq 0.5$  होने पर पूर्णांक की नीचली संख्या और  $\geq 0.5$  होने पर ऊपर की पूरी संख्या) ऊर्जा दक्षता अनुपात का मान पूर्णांकित किया जाएगा और दो सार्थक अंकों तक अभिलेखित किया जाएगा।

(4) सारणी 2.3 में दी अवधि पूर्ण होने पर सितारा स्तर योजना का हर दो वर्ष बाद पुनरीक्षण होगा।

3. परीक्षण और सह्यता :— (1) सितारा स्तर का निर्धारण करने के लिए यूनिटरी वातानुकूलकों के लिए भारतीय मानक 1391 (भाग 1) : 1992 के अनुसार परीक्षण किए जायेंगे और स्प्लिट वातानुकूलकों के लिए, सभी सुधारों सहित भारतीय मानक 1391 (भाग 2) : 1992 के अनुसार परीक्षण किए जाएंगे।

(2) परीक्षण के लिए पैरामीटर (प्राचल) विद्युत खपत और शीतलन परीक्षण होगा जो यूनिटरी वातानुकूलकों के लिए भारतीय मानक 1391 (भाग 1) 1992 (अधिकतम प्रचालन स्थितियां परीक्षण) खण्ड 10.4 (शीतलन के लिये विद्युत खपत परीक्षण) खण्ड 10.8 और (धारिता रेटिंग परीक्षण) खण्ड 10.10 द्वारा नियंत्रित होगा और स्प्लिट वातानुकूलकों के लिए भारतीय मानक 1391 (भाग 2) 1992 (अधिकतम प्रचालन स्थितियां परीक्षण) खण्ड 9.4 (शीतलन के लिए विद्युत खपत परीक्षण) खण्ड 9.7 और (धारिता निर्धार परीक्षण) खण्ड 9.9 द्वारा नियंत्रित होगा।

(3) परीक्षित की गई प्रत्येक यूनिट की सहिष्णुता सीमा निम्न द्वारा नियंत्रित होती है—

(i) मापी गई शीतलन क्षमता निर्धारित मान से  $>0.95$  होती है;

(ii) मापी गई ऊर्जा खपत निर्धारित मान से  $1.05 <$  होती है;

(iii) मापा गया ऊर्जा दक्षता अनुपात निर्धारित ऊर्जा दक्षता अनुपात का  $>0.95$  होगा।

(4) शक्ति खपत सहित सभी परीक्षण, क्षमता परीक्षण और अधिकतम प्रचालन स्थिति परीक्षण ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अथवा इसके द्वारा नामित एजेन्सी द्वारा संतुलित परिवेशी कैलोरीमीटर में चुनौती परीक्षण के सत्यापन के उद्देश्य से किए जाएंगे।

4. सत्यापन के लिए नमूना लेना :— परीक्षणों के लिए कक्ष वातानुकूलकों का चयन (नमूना लेना) और मात्राएं निम्न प्रकार से होंगी—

(i) परीक्षण के लिए प्रतिचयन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अथवा इसकी अभिहित अभिकरण द्वारा प्रतिचयन की निम्न योजना द्वारा किया जाएगा—

(क) निर्माण स्थल अथवा वेअर हाऊस से यदाकदा रूप से एक नमूना लिया जाएगा।

(ख) एक नमूना खुदरा दुकान से लिया जाएगा।

(ii) प्रत्येक परीक्षण के लिए प्रत्येक प्रकार के तीन यूनिट लिये जाएंगे। परीक्षण तीन में से दो यूनिटों पर किया जाएगा, तीसरा विकल्प के तौर पर रखा जाएगा ताकि कोई एक यूनिट क्षतिग्रस्त न हो जाए या किसी और कारण से सही रूप से इस का परीक्षण न हो सके।

5. परीक्षण रिपोर्ट :— प्रत्येक यूनिट के परीक्षणों के परिणाम उपाबंध क में दिये जाएंगे।

#### उपाबंध क

#### परीक्षणों के परिणामों की रिपोर्टिंग के लिए फार्म

1. कक्ष — वातानुकूलक का ब्यौरा
  - (i) ब्रान्ड
  - (ii) मॉडल का नाम (अगर हो)
  - (iii) मॉडल संख्या (पैकेज यूनिट का अथवा स्प्लिट सिस्टम की स्थिति में अन्दर के यूनिट का)
  - (iv) मॉडल संख्या (स्प्लिट सिस्टम में वाह्य यूनिट का)
  - (v) वातानुकूलक विन्यास 1— वायुवितरण — वाहिनी/बिना वाहिनी

- (vi) वातानुकूलक विन्यास 2— टाइप केवल शीतलन/केवल तापन/शीतलन और तापन
- (vii) वातानुकूलक विन्यास 3— उष्मा अन्तरण/वायु शीतलन टॉवर/जल लूप
- (viii) वाहिनी रहित स्प्लिट प्रणाली, आन्तरिक यूनिट आरोपण दीवार से लटका/छत के नीचे/फर्श पर लगा/कैसेट/फर्श/छत
- (ix) परीक्षित यूनिट की क्रम संख्या (पैकेज यूनिट अथवा विपाटित प्रणाली की स्थिति में आन्तरिक)
- (x) परीक्षित यूनिट की क्रम संख्या (स्प्लिट प्रणाली की स्थिति में बाह्य)
- (xi) निर्धारित वोल्टता V (स्प्लिट सिस्टम की स्थिति में पैकेज यूनिट का)
- (xii) निर्धारित वोल्टता V (स्प्लिट सिस्टम में बाह्य)
- (xiii) निर्धारित आवृत्ति
- (xiv) निर्धारित शीतलन क्षमता
- (xv) निर्धारित प्रभावी शक्ति निवेश, शीतलन
- (xvi) निर्धारित तापन क्षमता (जहां हो)
- (xvii) निर्धारित प्रभावी शक्ति निवेश, तापन (जहां हो)
- (xviii) क्या यह वातानुकूलक परिवर्ती निर्गम संपीडक का प्रयोग करता है (उदाहरणतया गति चालक अथवा बहु गति संपीडक)

## 2. परीक्षण सारांश

- (i) प्रत्येक प्रकार के परीक्षण के लिए, जैसी आवश्यकता हो इस पृष्ठ की अलग प्रति पूर्ण करें।
- (ii) परीक्षण की तिथि
- (iii) परीक्षण अधिकारी
- (iv) परीक्षण विधा : केवल शीतलन
- (v) परीक्षण प्रकार : शीतलन क्षमता/अधिकतम शीतलन/सभी प्रयोज्य परीक्षण
- (vi) सांकेतिक परीक्षण स्थितियां
- (vii) परीक्षण कक्ष प्रकार के आन्तरिक उपस्कर : कैलोरीमीटर/एन्थेल्पी परीक्षण कक्ष
- (viii) परीक्षण कक्ष प्रकार बाह्य उपस्कर : कैलोरीमीटर/एन्थेल्पी परीक्षण कक्ष/जल-लूप

- (ix) परीक्षण मानक
- (x) परीक्षण विधा : शीतलन/तापन/अधिकतम शीतलन
- (xi) प्रदाय वोल्टता V (पैकेज यूनिट अथवा स्पिल्ट सिस्टम के लिए इन डोर यूनिट)
- (xii) प्रदाय वोल्टता V (अगर स्पिल्ट सिस्टम हो तो वाह्य यूनिट)
- (xiii) प्रदाय आवृत्ति : Hz
- (xiv) औसत धारा (एम्पियर) एकल फेज
- (xv) स्थायीकरण अवधि (मिनट)
- (xvi) परीक्षण अवधि (मिनट)
- (xvii) इनडोर स्थिति – औसत शुष्क बल्व ( $^{\circ}\text{C}$ )
- (xviii) इनडोर स्थिति – अधिकतम परिवर्तनीय शुष्क बल्व (अधिकतम – न्यूनतम) ( $^{\circ}\text{C}$ )
- (xix) इनडोर स्थिति – औसत आर्द्र बल्व ( $^{\circ}\text{C}$ ) (जहां लागू हो)
- (xx) इनडोर स्थिति – अधिकतम परिवर्तनीय आर्द्र बल्व (अधिकतम – न्यूनतम) ( $^{\circ}\text{C}$ ) (जहां लागू हो)
- (xxi) पंखा सैटिंग
- (xxii) औसत वायु प्रवाह आयतन ( $\text{मी}^3/\text{घन्टा}$ )
- (xxiii) इनडोर बाह्य स्थैतिक दाब (Pa) केवल वाहिनी युक्त यूनिट
- (xxiv) वाह्य स्थिति – माध्य शुष्क बल्व ( $^{\circ}\text{C}$ )
- (xxv) वाह्य स्थिति – अधिकतम परिवर्तनीय शुष्क बल्व (अधिकतम–न्यूनतम) ( $^{\circ}\text{C}$ )
- (xxvi) वाह्य स्थिति – अधिकतम परिवर्तनीय शुष्क बल्व (अधिकतम–न्यूनतम) ( $^{\circ}\text{C}$ )
- (xxvii) वाह्य स्थिति – औसत आर्द्र बल्व ( $^{\circ}\text{C}$ )
- (xxviii) वाह्य स्थिति – पठन आवृत्ति

### 3. शीतलन क्षमता परिणाम

- (i) मापी गई सुग्राही शीतलन क्षमता (W);
- (ii) मापी गई गुप्त शीतलन क्षमता (W);
- (iii) मापी गई कुल शीतलन क्षमता (W);
- (iv) मापी गई प्रभावी शक्ति निवेश (W);
- (v) मापी गई EER शीतलन (W/W)

## 4. अधिकतम प्रचालन स्थितियां परीक्षण परिणाम

(क) क्या यूनिट ने अधिकतम प्रचालन परीक्षण सफल किए? हां/नहीं

[फा. सं. 10/6/2004-ईसी]

देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2009

**S.O. 181(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the energy consumption standards for star labelled room air conditioners of the vapour compression type for household use up to a rated cooling capacity of 9000 kcal/hour as under:-

(1) The room air conditioners of the vapour compression type for household use up to a rated cooling capacity of 9000 kcal/hour being manufactured, commercially purchased or sold in India shall -

- (i) meet the compliance requirements contained in clause 10.4 under the heading "Maximum Operating Conditions Test" of IS 1391(Part 1):1992 for unitary air conditioners and clause 9.4. under the heading "Maximum Operating Conditions Test" of IS 1391(Part 2):1992 for split air conditioners, with all amendments.
- (ii) either carry BIS certification mark or the manufacturer should be certified against IS/ISO 9000 or above.

(2) The label to be affixed to room air conditioners shall display a maximum of five stars with an interval of one star. These air conditioners shall be rated from star one to star five based on their relative energy efficiencies.

2. Star rating or star level plan. -(1) The star level of the room air conditioner shall be determined by Energy Efficiency Ratio which shall be obtained from Table 2.1 or 2.2 or 2.3 depending on the year of manufacturing or commercial purchase or sale.

SL. No.	Product Manufactured/ Commercially purchased or sold	Table to be used
1	One year from the date of coming into force of these regulations	2.1
2	One year after the period covered under Table 2.1 is completed	2.2
3	Two years after the period covered under Table 2.2. is completed.	2.3



**Table 2.1: Star level valid for one year from the date of coming into force of regulations.**

Star level	Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)	
	Min	Max
1 Star *	2.30	2.49
2 Star **	2.50	2.69
3 Star ***	2.70	2.89
4 Star ****	2.90	3.09
5 Star *****	3.10	

**Table 2.2: Star level valid for one year from the date the period covered under Table 2.1. is completed.**

Star level	Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)	
	Min	Max
1 Star *	2.50	2.69
2 Star **	2.70	2.89
3 Star ***	2.90	3.09
4 Star ****	3.10	3.29
5 Star *****	3.30	

**Table 2.3: Star level valid for two years from the date the period covered under Table 2.2. is completed.**

Star level	Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)	
	Min	Max
1 Star *	2.70	2.89
2 Star **	2.90	3.09
3 Star ***	3.10	3.29
4 Star ****	3.30	3.49
5 Star *****	3.50	

(2) The above tables provide for the value of various star level bands for different models. The star level chosen for the model will be based on the minimum and maximum limits of energy efficiency ratios of each star level band.

(3) There shall be no tolerance for the star level bands. All tested products must meet the minimum threshold for each star level band. The average of products tested must be at par or better than the label level threshold. The scope for manufacturing tolerance and other variations shall be accounted for when determining the star level keeping in view the following points for rounding,-

- (i) the number shall be rounded and recorded to five significant figures. The values of cooling capacity (kW), shall be rounded and recorded to three significant figures.

(ii) the values of energy consumption (W) shall be rounded of ( $< 0.5$  to lower whole number and  $\geq 0.5$  to higher whole number) to the nearest whole number. the values of Energy Efficiency Ratio shall be rounded and recorded to two significant figures.

(4) The star level plan shall be reviewed every two years after the period covered under Table 2.3. is over.

3. Testing and tolerance.- (1) For the purpose of determining the star level, the room air conditioners shall be tested as per IS 1391(Part1):1992 for unitary air conditioners and IS 1391 (Part 2):1992 for split air conditioners, with all amendments.

(2) The parameters for testing shall be power consumption and cooling test and shall be governed by clauses "10.4 (Maximum Operating Conditions Test)", "10.8 (Power Consumption Test for Cooling)" and "10.10 (Capacity Rating Test)" of IS 1391 (Part1):1992 for unitary air conditioners and clauses "9.4. (Maximum Operating Conditions Test)", 9.7. (Power Consumption Test for Cooling)" "9.9 Capacity Rating Test)" of IS 1391 (Part 2):1992 for split air conditioners

(3) The tolerance limits for each unit tested shall be governed by the following:

- (i) the measured cooling capacity shall be  $> 0.95$  of the rated value;
- (ii) the measured energy consumption shall be  $< 1.05$  of the rated value;
- (iii) the measured Energy Efficiency Ratio shall be  $> 0.95$  of the rated Energy Efficiency Ratio.

(4) All tests including the power consumption, capacity tests and maximum operating conditions tests shall be conducted by Bureau of Energy Efficiency or through its designated agency in balanced ambient calorimeters for the purpose of verification and challenge testing.

4. Sampling for verification. -The selection of room air conditioners for tests (sampling) and quantities shall be as follows:

- (i) The samples will be picked up by Bureau of Energy Efficiency (BEE) or its designated agency for testing as per the following sampling plan:
  - a) One sample will be picked up at random from the manufacturing facility or warehouse.
  - b) One sample will be picked up from a retail outlet.
- (ii) Three units of each type shall be picked up for each test. The tests shall be conducted on two of the three units, the third shall be kept as an alternative in case one of the units is damaged or cannot be tested properly for any other reason.

5. Test report. -The results of tests of each unit shall be reported in Annexure A.

**Annexure A**  
**Form for reporting the results of tests**

**1. Details of room air conditioner**

- (i) Brand:
- (ii) Model name: (if applicable)
- (iii) Model number: (of package unit or indoor unit if split system)
- (iv) Model number: (of outdoor unit if split system)
- (v) A/C Configuration 1—Air distribution Ducted/non-ducted
- (vi) A/C Configuration 2—Type Cooling only/heating only/cooling and heating
- (vii) A/C Configuration 3—Heat transfer Air/cooling tower/water loop
- (viii) Non-ducted split system indoor unit mounting: Wall-hung/Under ceiling/Floor mounted/Cassette/Floor/Ceiling
- (ix) Serial number(s) of unit tested: (of package unit or indoor unit if split system)
- (x) Serial number(s) of unit tested: (of outdoor unit if split system)
- (xi) Rated voltage: V (of package unit or indoor unit if split system)
- (xii) Rated voltage: V (of outdoor unit if split system)
- (xiii) Rated frequency:
- (xiv) Rated cooling capacity:
- (xv) Rated effective power input, cooling:
- (xvi) Rated heating capacity (where applicable):
- (xvii) Rated effective power input, heating (where applicable):
- (xviii) Does this air conditioner use a variable output compressor (e.g., speed drive or multi-speed compressor)?

**2. Test summary**

- (i) Complete a separate copy of this page for each test type, as applicable
- (ii) Date of test:
- (iii) Test officer:
- (iv) Test mode: Cooling only
- (v) Test type: Cooling capacity/ /maximum cooling/all applicable tests
- (vi) Nominal test condition:
- (vii) Test room type indoor equipment: Calorimeter/Enthalpy test room
- (viii) Test room type outdoor equipment: Calorimeter/Enthalpy test room/Water loop
- (ix) Test Standard:
- (x) Test mode: Cooling/heating/maximum cooling
- (xi) Supply voltage: V (of package unit or indoor unit if split system)
- (xii) Supply voltage: V (of outdoor unit if split system)
- (xiii) Supply frequency: Hz
- (xiv) Average current (amps): (Single-phase)
- (xv) Stabilization period (minutes):
- (xvi) Test period (minutes):
- (xvii) Indoor condition — mean dry bulb (°C):

- (xviii) Indoor condition — maximum variation dry bulb (max - min) (°C):
- (xix) Indoor condition — mean wet bulb (°C): (where applicable)
- (xx) Indoor condition — maximum variation wet bulb (max - min) (°C): (where applicable)
- (xxi) Fan setting:
- (xxii) Average air flow volume (m<sup>3</sup>/hour):
- (xxiii) Indoor external static pressure (Pa): (ducted units only)
- (xxiv) Outdoor condition — mean dry bulb (°C):
- (xxv) Outdoor condition — maximum variation dry bulb (max - min) (°C):
- (xxvi) Outdoor condition — mean wet bulb (°C):
- (xxvii) Outdoor condition — maximum variation wet bulb (max - min) (°C):
- (xxviii) Reading frequency (minutes):

### 3. Cooling capacity results

- (i) Measured sensible cooling capacity (W):
- (ii) Measured latent cooling capacity (W):
- (iii) Measured total cooling capacity (W):
- (iv) Measured effective power input (W):
- (v) Measured EER cooling (W/W):

### 4. Maximum operating conditions test results

- (a) Did the unit pass the maximum operating test? Yes/No

[F. No. 10/6/2004-EC]

DEVENDER SINGH, Jt. Secy.



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 2010/पाँच 16, 1931

No. 18]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 2010/PAUSA 16, 1931

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2010

का.आ. 24(अ).— केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं०का.आ.181 (अ) तारीख 12 जनवरी, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,—

(i) “घरेलू प्रयोग के लिए 9000 किलो कैलरी/घंटा निर्धारित क्षमता वाले” शब्द जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर “जो गवाक्ष वातानुकूलक और 10465 वाट (9000 किलो कैलोरी/घंटा) के निर्धारित शीतलन क्षमता तक 1 : 1 ऊंची दीवार स्पलिट वातानुकूलक प्रकार के हैं” शब्द रखे जाएंगे

(ii) पैरा 2, के उपपैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

“सितारा रेटिंग या सितारा स्तर योजना-(1) कक्ष वातानुकूलक का सितारा स्तर का अवधारण ऊर्जा दक्षता अनुपात द्वारा किया जाएगा जो इसके विनिर्माण वर्ष या आयात या विक्रय के आधार पर निम्नलिखित सारणी 2.1 अथवा 2.2 अथवा 2.3 से अभिप्राप्त किया जा सकेगा अर्थात् :--

क्र.सं०	उत्पाद विनिर्माण या आयात या विक्रय की अवधि	उपयोग की जाने वाली सारणी
1.	इन आदेशों के प्रकाशित होने की तारीख से तक	2.1
2.	01.01.2012 से 31.12.2013 तक	2.2
3.	01.01.2014 से 31.12.2015 तक	2.3

सारणी 2.1 : इन आदेशों के प्रकाशन की तारीख से 31.12.2011 तक सितारा स्तर का विधिमान्य होना

स्टार रेटिंग	ऊर्जा दक्षता अनुपात (वाट/वाट)	
1 सितारा*	2.30	2.49
2 सितारा**	2.50	2.69
3 सितारा***	2.70	2.89
4 सितारा****	2.90	3.09
5 सितारा*****	3.10	

सारणी 2.2 : में 01.01.2012 से 31.12.2013 तक सितारा स्तर का विधिमान्य होना

स्टार रेटिंग बैंड	ऊर्जा दक्षता अनुपात (वाट/वाट)	
1 सितारा*	2.50	2.49
2 सितारा**	2.70	2.69
3 सितारा***	2.90	2.89
4 सितारा****	3.10	3.09
5 सितारा*****	3.30	

सारणी 2.2 : 01.01.2014 से 31.12.2015 तक सितारा स्तर का विधिमान्य होना

स्टार रेटिंग बैंड	ऊर्जा दक्षता अनुपात (वाट/वाट)	
1 सितारा*	2.70	2.89
2 सितारा**	2.90	3.09
3 सितारा***	3.10	3.29
4 सितारा****	3.30	3.49
5 सितारा*****	3.50"	

[फा. सं. 10/6/2004-ईसी]  
देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :— मूल अधिसूचना संख्यांक का.आ.181 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

## MINISTRY OF POWER

## NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2010

S.O. 24(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Power number S.O 181(E), dated the 12<sup>th</sup> January, 2009, namely:-

In the said notification, -

(i) for the words "for household use upto a rated cooling capacity of 9000 kcal/hour", wherever they occur, the words "which are of window air conditioner and 1:1 high wall split air conditioner type up to a rated cooling capacity of 10,465 Watts ( 9000 kcal/hour)" shall be substituted;

(ii) for sub-paragraph (1) of paragraph 2, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"Star rating . or star level plan.-(1) The star level of the room air conditioner shall be determined by Energy Efficiency Ratio which shall be obtained from the following Table 2.1 or 2.2 or 2.3, depending on the year of manufacturing or import or sale, namely:-

SL. No.	Period of Product Manufacturing or Import or Sale	Table to be used
1	From the date of publication of these orders till 31.12.2011.	2.1
2	From 01.01.2012 to 31.12.2013.	2.2
3	From 01.01.2014 to 31.12.2015.	2.3

Table 2.1: Star level valid from the date of publication of these orders till 31.12.2011.

Star level	Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)	
	Minimum	Maximum
1 Star *	2.30	2.49
2 Star **	2.50	2.69
3 Star ***	2.70	2.89
4 Star ****	2.90	3.09
5 Star *****	3.10	

Table 2.2: Star level valid from 01.01.2012 to 31.12.2013.

Star level	Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)	
	Minimum	Maximum
1 Star *	2.50	2.69
2 Star **	2.70	2.89
3 Star ***	2.90	3.09
4 Star ****	3.10	3.29
5 Star *****	3.30	

Table 2.3: Star level valid from 01.01.2014 to 31.12.2015.

Star level	Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)	
	Minimum	Maximum
1 Star *	2.70	2.89
2 Star **	2.90	3.09
3 Star ***	3.10	3.29
4 Star ****	3.30	3.49
5 Star *****	3.50*	

[F. No. 10/6/2004-EC]

DEVENDER SINGH, Jt. Secy.

**Foot Note:—** The principal notification was published vide number S.O. 181(E), dated the 12<sup>th</sup> January, 2009.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2010

का.आ. 25(अ).— केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52), की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं०का.आ.183(अ) तारीख 12 जनवरी, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 के उपपैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“सितारा रेटिंग बैंड अथवा सितारा स्तर योजना-(1) घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक का सितारा लेबल (स्टार लेबल) पैरामीटर कानस्टेन्ट मल्टीप्लायर (कि.वा.घंटा/लीटर/वर्ष)-  $k_{nf}$  और कानस्टेन्ट फिक्सड एलॉऊन्स (कि.वा.घंटा/वर्ष)  $C_{nf}$  के आधार पर निर्धारित होता है जो विनिर्माण वर्ष, या आयात या विक्रय तथा तुलनात्मक ऊर्जा खपत (सीईसी) के आधार पर निम्नलिखित सारणी 2.1 या 2.2 या 2.3 से अभिप्राप्त किया जाएगा और घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लिए कुल समायोजित



भंडारण आयतन ( $V_{adj\_tot\_nf}$ ) का उपयोग सितारा रेटिंग बैंड और सितारा मॉडल का रेटिंग के अवधारण के लिए किया जाएगा अर्थात् :-

$$\text{तुलनात्मक ऊर्जा खपत (सीईसी)} = k_{nf} * V_{adj\_tot\_nf} + C_{nf}$$

$K_{nf}$  = कांस्टेंट मल्टीप्लायर  
(कि.वा.घंटा/लीटर/वर्ष)

$V_{adj\_tot\_nf}$  = घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लिए कुल  
समायोजित भंडारण आयतन (लीटर)

$C_{nf}$  = अचल नियत छूट  
(कि.वा.घंटा/वर्ष)

क्र.सं०	विनिर्माण या आयात या विक्रय उत्पाद की अवधि	उपयोग की जाने वाली सारणी
1.	इन आदेशों के प्रकाशन की तारीख से 31.12.2011 तक	2.1
2.	01.01.2012 से 31.12.2013	2.2
3.	01.01.2014 से 31.12.2015	2.3

सारणी 2.1 इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख से 31.12.2011 तक सितारा स्तर का विधिमाम्य होना

स्टार रेटिंग बैंड	न्यूनतम सीईसी	अधिकतम सीईसी
1 सितारा*	$\geq 0.8716 * V_{adj\_tot\_nf} + 759$	$< 0.6973 * V_{adj\_tot\_nf} + 607$
2 सितारा**	$\geq 0.6973 * V_{adj\_tot\_nf} + 607$	$< 0.5578 * V_{adj\_tot\_nf} + 486$
3 सितारा***	$\geq 0.5578 * V_{adj\_tot\_nf} + 486$	$< 0.4463 * V_{adj\_tot\_nf} + 389$
4 सितारा****	$\geq 0.4463 * V_{adj\_tot\_nf} + 389$	$< 0.3570 * V_{adj\_tot\_nf} + 311$
5 सितारा*****	$\geq 0.3570 * V_{adj\_tot\_nf} + 311$	

सारणी 2.2 01.01.2012 से 31.12.2013 तक सितार स्तर का विधिमाम्य होना

स्टार रेटिंग बैंड	न्यूनतम सीईसी	अधिकतम सीईसी
1 सितारा*	$\geq 0.6973 * V_{adj\_tot\_nf} + 607$	$< 0.5578 * V_{adj\_tot\_nf} + 486$
2 सितारा**	$\geq 0.5578 * V_{adj\_tot\_nf} + 486$	$< 0.4463 * V_{adj\_tot\_nf} + 389$
3 सितारा***	$\geq 0.4463 * V_{adj\_tot\_nf} + 389$	$< 0.3570 * V_{adj\_tot\_nf} + 311$
4 सितारा****	$\geq 0.3570 * V_{adj\_tot\_nf} + 311$	$< 0.2856 * V_{adj\_tot\_nf} + 249$
5 सितारा*****	$\geq 0.2856 * V_{adj\_tot\_nf} + 249$	

50 GI/10-2

सारणी 2.3 01.01.2014 से 31.12.2015 तक सितार स्तर का विधिमाम्य होना

स्टार रेटिंग बैंड	न्यूनतम सीइसी	अधिकतम सीइसी
1 सितारा*	$\geq 0.4463 * V_{adj\_tot\_nf} + 389$	$< 0.3570 * V_{adj\_tot\_nf} + 311$
2 सितारा**	$\geq 0.3570 * V_{adj\_tot\_nf} + 311$	$< 0.2856 * V_{adj\_tot\_nf} + 249$
3 सितारा***	$\geq 0.2856 * V_{adj\_tot\_nf} + 249$	$< 0.2285 * V_{adj\_tot\_nf} + 199$
4 सितारा****	$\geq 0.2285 * V_{adj\_tot\_nf} + 199$	$< 0.1828 * V_{adj\_tot\_nf} + 159$
5 सितारा*****	$\geq 0.1828 * V_{adj\_tot\_nf} + 159$	

[फा सं. 10/6/2004-ईसी]  
देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :- मूल अधिसूचना संख्यांक का.आ.183(अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2010

**S.O. 25(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Power number S.O 183(E), dated the 12<sup>th</sup> January, 2009, namely:—

In the said notification, for sub-paragraph (1) of paragraph 2, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

\*Star rating band or star level plan.— (1) The star level of the household frost free refrigerator shall be determined on the basis of star level parameters constant multiplier (kWh/Litre/Year) -  $k_{nf}$  and constant fixed allowance (kWh/Year) -  $C_{nf}$  which shall be obtained from the following Table 2.1 or 2.2 or 2.3, depending on the year of manufacturing or import or sale and the comparative energy consumption (CEC) and total adjusted storage volume for household frost free refrigerators ( $V_{adj\_tot\_nf}$ ) shall be used to determine the star rating band and star rating of the model, namely:—

$$\text{Comparative Energy Consumption (CEC)} = k_{nf} * V_{adj\_tot\_nf} + C_{nf}$$

Where,

$k_{nf}$  = Constant Multiplier (kWh/Litre/Year)

$V_{adj\_tot\_nf}$  = Total adjusted storage volume for household frost free refrigerator (Litre)

$C_{nf}$  = Constant fixed allowance (kWh/Year)

Sl. No.	Period of Product Manufacturing or Import or Sale	Table to be used
1	From the date of publication of these orders till 31.12.2011.	2.1
2	From 01.01.2012 to 31.12.2013.	2.2
3	From 01.01.2014 to 31.12.2015.	2.3

Table 2.1: Star level valid from the date of publication of these regulations till 31.12.2011.

Star rating band	Minimum CEC	Maximum CEC
1 Star *	$\geq 0.8716 * V_{adj\_tot\_nf} + 759$	$< 0.6973 * V_{adj\_tot\_nf} + 607$
2 Star **	$\geq 0.6973 * V_{adj\_tot\_nf} + 607$	$< 0.5578 * V_{adj\_tot\_nf} + 486$
3 Star ***	$\geq 0.5578 * V_{adj\_tot\_nf} + 486$	$< 0.4463 * V_{adj\_tot\_nf} + 389$
4 Star ****	$\geq 0.4463 * V_{adj\_tot\_nf} + 389$	$< 0.3570 * V_{adj\_tot\_nf} + 311$
5 Star *****	$\geq 0.3570 * V_{adj\_tot\_nf} + 311$	

Table 2.2: Star level valid from 01.01.2012 to 31.12.2013.

Star rating band	Minimum CEC	Maximum CEC
1 Star *	$\geq 0.6973 * V_{adj\_tot\_nf} + 607$	$< 0.5578 * V_{adj\_tot\_nf} + 486$
2 Star **	$\geq 0.5578 * V_{adj\_tot\_nf} + 486$	$< 0.4463 * V_{adj\_tot\_nf} + 389$
3 Star ***	$\geq 0.4463 * V_{adj\_tot\_nf} + 389$	$< 0.3570 * V_{adj\_tot\_nf} + 311$
4 Star ****	$\geq 0.3570 * V_{adj\_tot\_nf} + 311$	$< 0.2856 * V_{adj\_tot\_nf} + 249$
5 Star *****	$\geq 0.2856 * V_{adj\_tot\_nf} + 249$	


Table 2.3: Star level valid from 01.01.2014 to 31.12.2015

Star rating band	Minimum CEC	Maximum CEC
1 Star *	$\geq 0.4463 * V_{adj\_tot\_nf} + 389$	$< 0.3570 * V_{adj\_tot\_nf} + 311$
2 Star **	$\geq 0.3570 * V_{adj\_tot\_nf} + 311$	$< 0.2856 * V_{adj\_tot\_nf} + 249$
3 Star ***	$\geq 0.2856 * V_{adj\_tot\_nf} + 249$	$< 0.2285 * V_{adj\_tot\_nf} + 199$
4 Star ****	$\geq 0.2285 * V_{adj\_tot\_nf} + 199$	$< 0.1828 * V_{adj\_tot\_nf} + 159$
5 Star *****	$\geq 0.1828 * V_{adj\_tot\_nf} + 159$	

[F. No. 10/6/2004-EC]

DEVENDER SINGH, Jt. Secy.

Foot Note:— The principal notification was published vide number S.O. 183(E), dated the 12<sup>th</sup> January, 2009.





# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2012/पौष 19, 1933

No. 37]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2012/PAUSA 19, 1933

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2012

का.आ. 43(अ).—केंद्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. संख्यांक 181 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 के उप पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1) कक्ष वातानुकूलकों में सितारा स्तर का अवधारण ऊर्जा दक्षता अनुपात द्वारा किया जाएगा, जो सारणी 2.1 या सारणी 2.2 या सारणी 2.3 से, नीचे की सारणी में यथा विनिर्दिष्ट इसके विनिर्माण या आयात या कय या विक्रय के आधार पर, अभिप्राप्त किया जाएगा, अर्थात् :-

सारणी

क.सं.	उत्पाद विनिर्माण या आयात या कय या विक्रय	उपयोग की जाने वाली सारणी
1.	यूनिटरी टाईप वातानुकूलक - 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक	2.1
2.	स्प्लिट टाईप वातानुकूलक - (i) 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक (ii) 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 तक	2.2 2.3



## सारणी -2.1

यूनिटरी टाईप वातानुकूलक के लिए सितारा स्तर विधिमान्य  
(1जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक)

स्टार रेटिंग	ऊर्जा दक्षता अनुपात (वाट/वाट)	
	न्यूनतम	अधिकतम
1 सितारा*	2.30	2.49
2 सितारा**	2.50	2.69
3 सितारा***	2.70	2.89
4 सितारा****	2.90	3.09
5 सितारा*****	3.10	

## सारणी -2.2

स्प्लिट टाईप वातानुकूलक -के लिए सितारा स्तर विधिमान्य  
(1जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक)

स्टार रेटिंग	ऊर्जा दक्षता अनुपात (वाट/वाट)	
	न्यूनतम	अधिकतम
1 सितारा*	2.50	2.69
2 सितारा**	2.70	2.89
3 सितारा***	2.90	3.09
4 सितारा****	3.10	3.29
5 सितारा*****	3.30	

## सारणी -2.3

स्प्लिट टाईप वातानुकूलक -के लिए सितारा स्तर विधिमान्य  
(1जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 तक)

स्टार रेटिंग	ऊर्जा दक्षता अनुपात (वाट/वाट)	
	न्यूनतम	अधिकतम
1 सितारा*	2.70	2.89
2 सितारा**	2.90	3.09
3 सितारा***	3.10	3.29
4 सितारा****	3.30	3.49
5 सितारा*****	3.50"	

[फा. सं. 10/6/2004-ईसी-खण्ड 1]

देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पण :-** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. संख्यांक 181 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सूचना का.आ. संख्यांक 24 (अ), तारीख 5 जनवरी, 2010 द्वारा उसका अन्तिम संशोधन किया गया था।



Amd. 2

## MINISTRY OF POWER

## NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2012

**S.O. 43(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O 181(E), dated the 12<sup>th</sup> January, 2009, namely:-

In the said notification, for sub-paragraph (1) of paragraph 2, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(1) The star level of the room air conditioners shall be determined by Energy Efficiency Ratio, which shall be obtained from Table 2.1 or Table 2.2 or Table 2.3, on the basis of their manufacture or import or purchase or sale, as specified in the Table below, namely:-

Table

SL. No.	Manufacture or import or purchase or sale.	Table to be used.
1	Unitary type air conditioners – From 1 <sup>st</sup> January, 2012 to 31 <sup>st</sup> December, 2013.	2.1
2	Split type air conditioners- (i) From 1 <sup>st</sup> January, 2012 to 31 <sup>st</sup> December, 2013 (ii) From 1 <sup>st</sup> January, 2014 to 31 <sup>st</sup> December, 2015.	2.2 2.3

Table 2.1

**Star level valid for unitary type air conditioners  
(from 1<sup>st</sup> January, 2012 to 31<sup>st</sup> December, 2013)**

Star level	Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)	
	Minimum	Maximum
1 Star *	2.30	2.49
2 Star **	2.50	2.69
3 Star ***	2.70	2.89
4 Star ****	2.90	3.09
5 Star *****	3.10	

Table 2.2  
Star level valid for split type air conditioners  
(from 1<sup>st</sup> January, 2012 to 31<sup>st</sup> December, 2013)

Star level	Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)	
	Minimum	Maximum
1 Star *	2.50	2.69
2 Star **	2.70	2.89
3 Star ***	2.90	3.09
4 Star ****	3.10	3.29
5 Star *****	3.30	

Table 2.3  
Star level valid split type air conditioners  
(from 1<sup>st</sup> January, 2014 to 31<sup>st</sup> December, 2015)

Star level	Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)	
	Minimum	Maximum
1 Star *	2.70	2.89
2 Star **	2.90	3.09
3 Star ***	3.10	3.29
4 Star ****	3.30	3.49
5 Star *****	3.50"	

[F. No. 10/6/2004-EC-Vol. 1]

DEVENDER SINGH, Jt. Secy.

**Footnote :-** The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 181(E), dated the 12<sup>th</sup> January, 2009 and last amended vide number S.O.24(E), dated the 5<sup>th</sup> January, 2010.





# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 9, 2013/वैशाख 19, 1935

No. 130]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 9, 2013/VAISAKHA 19, 1935

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2013

सं. 2/11(5)/03-बीईई-2.—ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2012 का प्रारूप तारीख 9 अक्टूबर, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग iii, खंड 4 में संख्या 2/11(5)/03-बीईई-4 तारीख 8 अक्टूबर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों के जिनके इसरो प्रभावित होने की संभावना है, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर आपत्तियां अथवा सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

और, उक्त प्रारूप विनियमों की राजपत्र की प्रतियां 9 अक्टूबर, 2012 को उपर्युक्त राजपत्र में प्रकाशित की गई थी;

और, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनसाधारण से कतिपय आपत्तियां या सुझाव प्राप्त हुए;

और प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर लिया गया;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (झ) के साथ पठित धारा 14 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के विनियम 2 के उपविनियम (1) में,—

(i) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(खक) “लेबल अवधि” से धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऊर्जा उपभोग मानक के अधीन ऊर्जा दक्षता अनुपात की विधिमान्यता अवधि अभिप्रेत है और यदि ऊर्जा दक्षता अनुपात की अन्तिम अवधि विनिर्दिष्ट है, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा एक नया ऊर्जा दक्षता अनुपात विनिर्दिष्ट होने तक इसे विधिमान्य समझा जाएगा;”

(ii) खंड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे अर्थात्:—

(ड.) "स्टार रेटिंग या स्टार स्तर" से कक्ष वातानुकूलक की ऊर्जा दक्षता को बताने के लिए धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित ऊर्जा उपभोगमानक के आधार पर कक्ष वातानुकूलक के लेबल पर संप्रदर्शित ऊर्जा दक्षता का ग्रेड अभिप्रेत है;।

(घ) "व्यापारी या विक्रेता" से किसी लेबलयुक्त कक्ष वातानुकूलक के संबंध में, वह व्यक्ति जो ऐसे कक्ष वातानुकूलक को बेचता है या वितरित करता है और इसमें विनिर्माता, व्यापारी और अनुज्ञापत्रधारी, जिसे ऐसे कक्ष वातानुकूलकों पर लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गई है, अभिप्रेत है।।

3. मूल विनियम में, विनियम 3 के, उप विनियम (1) में,—

(i) खंड (ट), के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
“(ठ) लेबल अवधि।”

(ii) उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(1 क) उप-विनियम (1) के खंड (1) में विनिर्दिष्ट विशिष्टि 31 दिसम्बर, 2013 के पश्चात् एकिक कक्ष वातानुकूलक पर संप्रदर्शित किया जाएगा।”

4. मूल विनियम में, विनियम 4 के विद्यमान विनियम 4 को उप विनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-विनियम (1) के पश्चात् जैसा कि पुनः संख्यांकित किया गया है, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्

“(2) अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन पुनरीक्षित ऊर्जा उपभोग मानक के प्रारंभ को और प्रारंभ से प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि —

(क) बाजार में उपलब्ध स्टार स्तर संप्रदर्शित करने वाले लेबल सहित कक्ष वातानुकूलकों के स्टॉक को प्रारंभ की तारीख से पहले बाजार से पूर्ण रूप से निष्कासित किया गया या पुनः लेबलयुक्त किया गया या वापस किया जाएगा;

(ख) बिक्री के लिए रखे गये कक्ष वातानुकूलक पर भी लेबल अवधि संप्रदर्शित करनी होगी, बशर्ते कि अनुज्ञापत्रधारी को ऐसे प्रारंभ से तीन मास पूर्व बाजार में कक्ष वातानुकूलक लाने की स्वतंत्रता होगी।

(ग) सभी प्रारंभिक उपायों, जिनमें डीलर, खुदरा व्यापारी की जागरूकता, उनके और उपभोक्ताओं के शिक्षण के लिए अपेक्षित प्रचार शामिल हैं, को सुनियोजित करना चाहिए और इस विनियम के अधीन प्रारंभ की उस तारीख से छह मास पहले करना चाहिए।

(3) जहां अनुज्ञापत्रधारी, उसके नियंत्रण से परे बाजार परिस्थितियों के कारण, उप-विनियम (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने में असफल होता है और यह मानने के लिए उपभोक्ता के पास पर्याप्त आधार है कि उप विनियम (2) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट कक्ष वातानुकूलकों के बीच ऊर्जा दक्षता के आधार पर उपभोक्ता सुविचारित चयन करने में कठिनाई अनुभव करता है, तो अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो की पूर्व अनुमोदन के साथ, उप-विनियम (2) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट कक्ष वातानुकूलक के बीच अन्तर करने के लिए अनुसूची में दर्शाए गए अभिकल्पन के अनुसार हरे रंग के लेबल पर विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ट) में निर्दिष्ट ऊर्जा दक्षता अनुपात को संप्रदर्शित करेगा।”

5. मूल विनियम के विनियम 7 में,

(i) उप-विनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(3) उप विनियम(1) के अधीन इस प्रकार प्रदत्त अनुज्ञा उस अवधि के लिए विधिमान्य होगी जिसके लिए धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानक द्वारा विनिर्दिष्ट स्टार स्तर प्रवृत्त है।”;

(ii) उप-विनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप विनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(6) अनुज्ञापत्रधारी, जो उस तारीख से जिससे पुनरीक्षित स्टार स्तर प्रवृत्त हुए हैं, कक्ष वातानुकूलक के विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाना जारी रखने के लिए अनुज्ञा की याचना करता है, उसे प्ररूप IV में केवल एक घोषणा करनी होगी।

(7) अनुज्ञापत्रधारी पुनः लेबल चिपकाने की अनुमति लेगा, यदि कक्ष वातानुकूलक के एक नए मॉडल को पुनरीक्षित स्टार स्तर के समनुरूप उतारने की योजना बनाई है, तो ऐसी अनुमति के लिए पुनरीक्षित स्टार स्तर के प्रवृत्त होने से छह मास पहले आवेदन करना होगा।”।

6. मूल विनियमों के, विनियम 8 में खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(चक) अनुज्ञापत्रधारी को प्राधिकृत वितरकों, डीलरों, खुदरा व्यापारियों, विक्रेताओं, जिन्हें उनके लेबलयुक्त उत्पादों को बेचने के लिए नियुक्त किया गया है, की अद्यतित सूची को अपनी वेबसाइट पर संप्रदर्शित करना होगा और प्रत्येक वर्ष, 1 अप्रैल को इसे ब्यूरो और राज्य अभिहित अभिकरणों को प्रस्तुत करना होगा;”

7. मूल विनियम के विनियम 11 में, उप विनियम (4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(4) जहां द्वितीय परीक्षण असफल होता है, वहां ब्यूरो—

(क) अनुज्ञापत्रधारी को प्ररूप V में यह निदेश देगा कि सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को सूचित करते हुए अनुज्ञापत्रधारी दो मास की अवधि के भीतर,—

(i) कक्ष वातानुकूलक के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर को सही करेगा या परीक्षण के दौरान पाए गए नुक्सों और कमियों को दूर करेगा;

- (ii) ब्यूरो के निदेशानुसार बाजार से सारे स्टॉक को हटाएगा; और  
 (iii) विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों को बदलेगा।
- (ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो मास के भीतर किसी अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल संख्या, लोगो और अन्य विनिर्दिष्ट किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलैक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रीति से, जैसा उचित समझा जाए, प्रकाशित करेगा;
- (ग) अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के खिलाफ न्यायनिर्णयन कार्यवाही शुरू करने के लिए संबद्ध राज्य अभिहित अभिकरणों को संसूचित करेगा;
- (5) अनुज्ञापत्रधारी, उप-विनियम (4) में उल्लिखित दो मास की अवधि की समाप्ति के दस दिन के भीतर —  
 (क) निदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई की बाबत ब्यूरो को प्ररूप VI में अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा; और  
 (ख) यदि खंड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती है, या किसी दिशा निर्देश के अनुपालन के बिना विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होती है, तो इसे ब्यूरो द्वारा पारित इस आशय के आदेशों और जारी किए गए निदेशों का अननुपालन समझा जाएगा।
- (6) ब्यूरो, खंड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट और उप-विनियम (5) के खंड (ख) में पारित आदेशों की एक प्रति धारा 17 और उपर्युक्त खंड (ख) के अधीन पारित आदेश के प्रवर्तन कार्रवाई के प्रयोजन के लिए सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को भेजेगा।
- (7) जहां अनुज्ञापत्रधारी, उप-विनियम (4) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां ब्यूरो, सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को सूचित करते हुए,—  
 (क) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अधीन अनुज्ञापत्रधारी को प्रदत्त अनुज्ञा को वापस ले लेगा;  
 (ख) धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोगमानक का अनुरूप, केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 14 के खंड (ग) के अधीन विचार करने और कार्रवाई करने के लिए खंड (क) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आदेशों का अनुपालन करने में यदि अनुज्ञापत्रधारी असफल रहता है, तो इसके समर्थन में परीक्षण रिपोर्ट के साथ इसकी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजेगा;
- (ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो मास के भीतर किसी अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल संख्या, लोगो और अन्य विनिर्दिष्ट किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलैक्ट्रॉनिक या किसी अन्य तरीके से, जैसा उचित समझा जाए, प्रकाशित करेगा;
- (घ) अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के खिलाफ न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां और शुरू करने के लिए संबद्ध राज्य अभिहित अभिकरणों को सूचित करेगा।
8. मूल विनियम के प्ररूप II में, विद्यमान पैराग्राफ 5 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ रखा जाएगा, अर्थात्:—  
 "5. जहां स्टार स्तर की योजना की पुनर्विलोकन करने पर ब्यूरो द्वारा उपांतरित की जाती है, कक्ष वातानुकूलक का स्टार स्तर निम्नानुसार उपांतरित किया जाएगा:  
 (क) यदि नया मॉडल पुनरीक्षित स्टार स्तर के अनुरूप शुरू किया जाता है, तो नए स्टार स्तर के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मारा पूर्व ब्यूरो को ऐसी अनुमति के लिए एक आवेदन देना होगा;  
 (ख) जहां विद्यमान मॉडल को ही उपांतरित स्टार स्तर के रूप में जारी रखा जाता है, वहां प्ररूप IV में, केवल एक घोषणा ब्यूरो को प्रस्तुत करनी होगी।"
9. मूल विनियम में, प्ररूप III के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

## "प्ररूप IV

## घोषणा

[विनियम 7(6) देखिए]

(प्रत्येक भिन्न मॉडल के लिए, संबंधित उपाबंध के साथ एक अलग पत्र प्रस्तुत करना होगा)  
 (निगमित निकाय/लेबल के उपयोगकर्ता के पत्रशीर्ष पर)

सेवा में  
 महानिदेशक  
 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो  
 (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)  
 चौथा तल, सेवा भवन,  
 सैक्टर 1, आर के पुरम,  
 नई दिल्ली— 110066  
 भारत।

तारीख :

विषय : तारीख .....से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 प्रभावी स्टार स्तर के पुनरीक्षण के अनुसार लेबल चिपकाने की अनुमति के लिए आवेदन

1. मैं/हम कक्ष वातानुकूलक के विनिर्माता हैं जो [कम्पनी का नाम और पूरा पता] स्टाइल के अधीन [व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम] कारोबार कर रहा हूँ/रहे हैं, जो [उपस्कर का नाम] लेबल चिपकाने की अनुमति के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं, जैसाकि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट हैं, जिनमें .....से प्रभावी स्टार स्तर में पुनरीक्षण किया जाएगा।
2. विनिर्माणकारी सुविधा: उक्त उपकरण[व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम] द्वारा विनिर्मित या आयातित किया गया है और [फैक्टरी का नाम और पता] में विनिर्मित किया गया है या[फैक्टरी/आयातक का नाम और पता] से आयात किया गया है.....
3. नए स्टार स्तर से अनुरूपता: मैं/हम सारणी में परिवर्तन सारणी.....के अनुसार पुष्टि करता हूँ/करते हैं, जैसाकि 9 जनवरी, 2012 को [उपकरण का नाम] के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है। (अधिसूचना का शीर्षक) उपरोक्त उपकरण (जो पहले अनुमोदित था) के संबंध में बीईई लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमोदन की एक प्रति संलग्न है
4. कक्ष वातानुकूलक के संबंध में बीईई लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन में पुनरीक्षण के अनुसार) की एक प्रति संलग्न है।
5. नई सारणी के अनुसार उपकरण/मॉडल के ब्यौरे:

मॉडल का नाम .....

विशिष्टियां	मूल्य निरूपण
प्रशीतन क्षमता	—
विद्युतउपभोग	—
ईईआर	—
स्टार रेटिंग	(विद्यमान लेबल स्तर के अनुसार) (स्टार स्तर के पुनरीक्षण के अनुसार)

6. मैं/हम स्टार लेबल प्रारूप के[विद्यमान स्टार लेबल स्तर] से [पुनरीक्षित स्टार लेबल स्तर] में हस्तलिखित आवेदन और ऑनलाइन वेब पोर्टल में परिवर्तन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
7. मैंने उक्त कक्ष वातानुकूलक के लिए तारीख तक के तिमाही उत्पादन के आंकड़े और लेबलिंग शुल्क प्रस्तुत कर दिया है।
8. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी शर्तों और निबंधनों को मानने के लिए सहमत हूँ/हैं और यदि ब्यूरो द्वारा कोई जांच की जाती है तो ब्यूरो को आवश्यक सहायता/सहयोग देने के लिए सहमत हूँ/हैं।
9. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने का चयन करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों को मानने के लिए सहमत हूँ/हैं।
10. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचना मेरी पूरी जानकारी के अनुसार सही है और यदि दी गई कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन को रद्द कर दिया जाए।

तारीख

दिन.....(वर्ष)

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पद नाम.....

कृते और की ओर से .....

(फर्म का नाम)

फर्म की मोहर

प्ररूप V

[विनियम 11(4) देखिए]

द्वितीय जांच पड़ताल में असफल होने पर अनुज्ञापत्र धारी को निदेश

नई दिल्ली तारीख ..... 201

सेवा में

.....  
.....  
.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, (कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसार आपको बीईई पत्र सं. .... तारीख..... के अनुसार कक्ष वातानुकूलकों पर लेबल चिपकाने की अनुमति, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों और निबंधनों के अनुपालन के अध्यक्षीन दी गई थी।

2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, (कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां एवं रीति) विनियम 2009 के विनियम 11 के अधीन जो कक्ष वातानुकूलक संख्या..... के सत्यापन और परीक्षण से संबंधित हैं और आपके प्राधिकृत वितरक, डीलर, खुदरा व्यापारी से .....रूपये की कीमत पर बीजक संख्या ..... तारीख..... को क्रय किया गया था और पूर्वोक्त खरीदे गए कक्ष वातानुकूलक पर आपके द्वारा चिपकाए गए पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 3 के अधीन लेबल पर संप्रदर्शित विशिष्टियां के सत्यापन के लिए का.आ. सं. 181(अ) तारीख 12 जनवरी, 2009 के पैराग्राफ 4 के अधीन एक नमूना, ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक अभिकरण मेसर्स ..... द्वारा उठाया गया था। मेसर्स ..... (वितरक, डीलर, खुदरा व्यापारी का नाम) से अभिप्राप्त, सत्यापन अभिकरण और आपके प्रतिनिधियों के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित उठाए गए नमूने पर उकेरी गई विशिष्ट पहचान क्रम संख्या दी गई है और मेसर्स ..... द्वारा सम्यक रूप से सील बंद किया गया है।

3. ब्यूरो अपने पूर्वोक्त सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूने को मेसर्स ..... जो सा.का. सं.181(अ) तारीख 12 जनवरी, 2009 के उपाबंध में दिए गए प्ररूप के अनुसार जांच रिपोर्ट देने के लिए तारीख 12 जनवरी, 2009 के का.आ. संख्या 181(अ) के पैराग्राफ 3 और 4 में उपदर्शित परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण करने के लिए एक एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला है, तक लेकर गया।

4. अनन्य पहचान क्रम संख्या वाले नमूने की जांच रिपोर्ट के परिणाम संलग्न हैं। उपदर्शित जांच रिपोर्ट के परिणाम यह उपदर्शित हैं कि नमूना कक्ष वातानुकूलक ऊर्जा उपभोग मानक, विनिर्दिष्ट दर पर क्षमता, ईईआर आदि को पूरा करने में असफल था और आपके द्वारा विनिर्मित/आयातित कक्ष वातानुकूलक पर लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा मांगने के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन के साथ संलग्न प्ररूप I में आपके द्वारा दिए गए जांच ब्यूरो के अनुरूप नहीं है। परीक्षण परिणाम आपके बीईई के पत्र संख्या..... तारीख ..... द्वारा प्राधिकृत सम्पर्क व्यक्ति के नाम में आपको भेजे गए थे। एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला मेसर्स ..... में नमूनों की द्वितीय जांच सत्यापन परीक्षण में उपस्थित होने और साक्ष्य के लिए भी आपसे अनुरोध किया गया था।

5. द्वितीय जांच सत्यापन परीक्षण के लिए नमूना हमारे प्राधिकृत अभिकरण मेसर्स ..... के माध्यम से का.आ. संख्या 181 तारीख 12 जनवरी, 2009 के पैराग्राफ 4 के अनुसार लिया गया और हमारे प्राधिकृत अभिकरण द्वारा मेसर्स ..... द्वारा सम्यक रूप से भुहर बंद करके एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला तक लाया गया और ..... से, सत्यापन अभिकरण के प्राधिकृत प्रतिनिधि तथा आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों के तहत प्राप्त उक्त नमूने पर उकेरी गई एक विशिष्ट पहचान क्रम संख्या दी गई।

6. एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला के सक्षम प्राधिकृत कार्मिक द्वारा सम्यक रूप से तैयार किए गए, जांच किए गए और प्रतिहस्ताक्षरित किए गए परीक्षण परिणाम द्वितीय परीक्षण सत्यापन रिपोर्ट में विहित हैं। परीक्षण रिपोर्ट द्वितीय जांच परीक्षण के एक साक्षी के रूप में हमारे प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित भी है। परीक्षण परिणाम यह पुष्टि करते हैं कि विनिर्मित और बाजार में बेचे गए कक्ष वातानुकूलक का.आ. संख्या 181 (अ) तारीख 12 जनवरी, 2009 में दिए गए अपेक्षित पैरामीटरों तथा मानकों और उन पर चिपकाए गए लेबल पर संप्रदर्शन के लिए विशिष्टियां आपको दी गई अनुज्ञा की शर्तों और निबंधनों को पूरा नहीं करती हैं।

7. अतः, अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 11 के उप-विनियम (4) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्यूरो निदेश करता है कि-

- (i) कक्ष वातानुकूलक के स्तर पर संप्रदर्शित स्टार लेबल को सही करें।
- (ii) ब्यूरो के निदेशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक को हटाएं; और
- (iii) विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों को बदलें।

8. आपको निदेशित किया जाता है कि इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो मास के भीतर पूर्वोक्त सुधार संबंधी कार्रवाई पूरी की जाए और दो मास के अवसान के पश्चात् 10 दिन के भीतर, अर्थात्-201-तक प्ररूप V में अनुपालन रिपोर्ट भेजें। यदि उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के खंड (ख) के रूप में कार्रवाई करेगा।

9. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 11 के विनियम (4) (5) (6) और (7) के अनुसार इस मामले में आगे अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

सचिव,  
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक :

1. असफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट
2. विनिर्माता के साथ पत्राचार

1888 GI/13-2

प्ररूप VI  
की गई कार्रवाई की रिपोर्ट  
[विनियम 11 (5) देखिए]  
(कम्पनी के पत्र शीर्ष में प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में  
सचिव  
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो  
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)  
धौथा तल, सेवा भवन,  
सेक्टर 1, आर के पुरम,  
नई दिल्ली— 110066

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2009, के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, हम मेसर्स ..... कक्ष वातानुकूलकों के विनिर्माता, को मॉडल संख्या ..... के लिए बीईई पत्र संख्या ..... तारीख ..... के अंतर्गत..... स्टार स्तर के ऊर्जा उपभोगमानक के समनुरूप कक्ष वातानुकूलकों पर लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा दी गई थी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2009, के विनियम 11 के उप-विनियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में हमें निदेश दिए गए थे कि हम घोषणा करते हैं कि हमारी ओर से निम्नलिखित कार्रवाई कर ली गई है।

	निर्देशित कार्रवाई	अवस्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए लेबल पर सही स्टार स्तर संप्रदर्शित किया जाए	हां/नहीं/लागू नहीं होता	ब्यूरो के निर्देशों के अनुपालन में बाजार से पूरे स्टॉक पर ..... स्टार से ..... स्टार तक स्तर ठीक कर दिया है।
(ii)	ब्यूरो के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाजार से पूरा स्टॉक हटाया जाए	हां/नहीं/लागू नहीं होता	बाजार से पूरा स्टॉक हटा लिया गया है।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों को बदला जाए	हां/नहीं/लागू नहीं होता	हां/नहीं/लागू नहीं होता

उपर्युक्त घोषणा मेरी/हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।


हस्ताक्षर  
नाम  
पद नाम  
कृते और के लिए  
कम्पनी/फर्म आदि का नाम  
फर्म की सील।।।

10. मूल विनियम के विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-


“अनुसूची

[विनियम 3(2) देखिए]

1. एकिक के लेबलों पर संप्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियों के ब्यौरे (31 दिसम्बर, 2013 तक लागू)
  - (1.1) लेबल डिजाइन, आकार, रंग स्कीम और लेबल की अंतर्वस्तु में यह सम्मिलित होगा।
  - (i) लेबल के निम्नलिखित आयामी अभिकल्पन, अर्थात्:-



(ii) लेबल (एकिक कक्ष वातानुकूलक) के लिए निम्नलिखित रंग स्कीम, अर्थात्:-



(iii) ब्यूरो के लोगो के लिए निम्नलिखित रंग स्कीम अर्थात्:-  
नीला-

रंगत(H)-239° संतृप्ति (S) : 64% द्युति (B): 59%

ज्योतिर्मयता या हल्कापन (L) : 28, रंग संबंधी घटक -a:24b:54

लाल (R): 54 हरा (G): 55 नीला (B): 151

सायन (C): 97% मेजेन्टा (M): 95% पीला (Y): 6% काला (K): 1%

वेब रंग कोड -#363797

हरा

रंगत (H): 150° संतृप्ति (S) : 10% द्युति (B) 67%

ज्योतिर्मयता या हल्कापन (L) : 61, रंग संबंधी घटक -a:53b:32


लाल (R): 0 हरा (G): 170 नीला (B): 87

सायन (C): 81% मेजेन्टा (M): 10% पीला (Y): 90% काला (K): 1%

वेब रंग कोड -#00AA56;



(iv) निम्नलिखित एकिक कक्ष वातानुकूलक के लिए मुद्रित लेबल का संपूर्ण नमूना, अर्थात्:-



(1.2) सामग्री और आकार


लेबल टिकाऊ गत्ते का होना चाहिए, यदि इसे सिंग टैग के रूप में संलग्न किया जाना है या स्वतः चिपकने वाला हो, और लेबल के लिए विभिन्न डिजाइन स्कीम में दिखाई गई रूपरेखा पर काटना होगा।

2. स्प्लिट कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर संप्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियों के ब्यौरे (01 जनवरी, 2014 के पश्चात् एकिक कक्ष वातानुकूलकों के लिए भी लागू)


2.1 लेबल डिजाइन, आकार, रंग स्कीम और लेबल की अन्तर्वस्तु में यह सम्मिलित होगा

1888 GI/13-3

(i) निम्नानुसार लेबल का विमीय डिजाइन, अर्थात्:-



(ii) लेबल (स्प्लिट कक्ष वातानुकूलकों) के लिए निम्नलिखित रंग स्कीम, अर्थात्:-



टिप्पण : ऊर्जा दक्षता अनुपात संप्रदर्शन (हरा) की पृष्ठभूमि में रंग टोन वही होगा जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लोगो के लिए अनुज्ञात है।

(iii) ब्यूरो के लोगो के लिए निम्नलिखित रंग स्कीम अर्थात्:-  
नीला-

रंगत (H) -239 संतृप्ति (S) : 64% द्युति (B): 59%

ज्योतिर्मयता या हल्कापन (L) : 28, रंग संबंधी घटक -a:24b:54

लाल (R): 54 हरा (G): 55 नीला (B): 151

सायन (C): 97% मेजेन्टा (M): 95% पीला (Y): 6% काला (K): 1%

वेब रंग कोड -#363797

हरा

रंगत (H): 150 संतृप्ति (S) : 10% द्युति (B) 67%


ज्योतिर्मयता या हल्कापन (L) : 61, रंग संबंधी घटक -a:53b:32

लाल (R): 0 हरा (G): 170 नीला (B): 87

सायन (C): 81% मेजेन्टा (M): 10% पीला (Y): 90% काला (K): 1%

वेब रंग कोड -#00AA56;

(iv) निम्नलिखित स्प्लिट कक्ष वातानुकूलकों के लिए मुद्रित लेबल का संपूर्ण नमूना, अर्थात्:-



(2.2) सामग्री और आकार

लेबल टिकाऊ, गलते का होना चाहिए, यदि इसे सिंग टैग के रूप में संलग्न किया जाना है या स्वतः चिपकने वाला हो, और लेबल के लिए विभिन्न डिजाइन स्कीम में दिखाई गई रूपरेखा पर काटना होगा।

ज्योति अरोरा, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

[विज्ञापन—III/4/असाधारण/187—जी/13]

**पाद टिप्पण :** मूल विनियम, अर्थात्: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की (विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 राजपत्र में भाग III, धारा 4 में संख्या 2/11(5)/03 बीईई-2, तारीख 6 जुलाई, 2009 द्वारा अधिसूचित किया गया था और इसमें संख्या 2/11(5)/03 बीईई-2, तारीख 5 जनवरी, 2010 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

**THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8<sup>th</sup> May, 2013

**No. 2/11(5)/03-BEE-2.**— Whereas the draft of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Amendment Regulations, 2012, was published vide number 2/11(5)/03-BEE-2 dated the 8<sup>th</sup> October, 2012 in Part III, section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 9<sup>th</sup> October, 2012, as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within thirty days from the date of publication in the Official Gazette;

And, whereas, Gazette copies of the said draft regulations were published in the aforesaid Gazette on the 9<sup>th</sup> October, 2012;

And, whereas, certain objections or suggestions have been received from the public with respect to the said draft regulations within the specified period aforesaid;

And whereas the suggestions received have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 14 read with clause (i) of sub-section (2) of section 58 of the said Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau of Energy Efficiency, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Amendment Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as the principal regulations) in regulation 2, in sub-regulation (1),—

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(ba) “label period” means the validity period of the energy efficiency ratio under the energy consumption standard specified by the Central Government under clause (a) of section 14 and in case the end period of the energy efficiency ratio is not specified, it shall be deemed to be valid until a new energy efficiency ratio is specified by the Central Government;’;

(ii) for clause (e), the following clauses shall be substituted, namely:—

‘(e) “star rating or star level” means the grade of energy efficiency displayed on the label of the room air conditioner based on the energy consumption standard notified under clause (a) of section 14 to denote the energy efficiency of the air conditioner;’;

‘(f) “trader or seller” in relation to any labelled room air conditioner means, a person who sells or distributes any such room air conditioner and includes the manufacturer, trader, and permittee given permission to affix label on such room air conditioner.’.

3. In the principal regulations, in regulation 3, in sub-regulation (1),—

(i) after clause (k), the following clause shall be inserted, namely:—

“(l) label period.”

(ii) after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

1888 GI/13-4

“(1A) The particulars specified in clause (l) of sub-regulation (1) shall be displayed on unitary type air-conditioner after the 31st December, 2013.”.

4. In the principal regulations, in regulation 4, the existing regulation 4 shall be renumbered as sub-regulation (1) thereof and after sub-regulation (1) as so renumbered, the following sub-regulations shall be inserted, namely:—

“(2) On and from the commencement of revised energy consumption standards under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee shall ensure that—

(a) the stock of room air conditioners with label displaying the star level available in the market is fully exhausted or relabelled or withdrawn from the market before the date of commencement;

(b) the room air conditioner put on sale shall also display label period provided that the permittee shall be at liberty to introduce the room air conditioner in the market three months prior to such commencement.

(c) all the preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers shall be well planned and taken six months in advance of the date of such commencement under this regulation.

(3) Where the permittee fails to ensure compliance of the provisions specified in clause (a) of sub-regulation (2), on account of market conditions beyond his control, and there are reasonable grounds to believe that the consumer would find it difficult to make a considered choice on the basis of energy efficiency between the air conditioner referred to in clause (a) and clause (b) of sub-regulation (2), the permittee, with the previous approval of the Bureau shall display energy efficiency ratio, referred to in clause (k) of sub-regulation (1) of regulation 3 on the label in green colour as per design shown in the Schedule to make a distinction between the air conditioner referred to in clause (a) and clause (b) of sub-regulation (2).”.

5. In the principal regulations, in regulation 7,—

(i) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for the duration for which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.”;

(ii) after sub-regulation (5), the following sub-regulations shall be inserted namely:—

“(6) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the room air conditioner from the date from which the revised star level comes into force shall submit only a declaration in form IV.

(7) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the room air conditioner is planned to be launched synchronising with the revised star level, and application for such permission shall be made six months in advance of coming into force of the revised star level.”.

6. In the principal regulations, in regulation 8 after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

“(fa) the permittee shall display on its web-site an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products and furnish the same to the Bureau as well as to the State Designated Agencies as on 1<sup>st</sup> April of each year.”.

7. In the principal regulations, in regulation 11, for sub-regulations (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

“(4) Where the second test fails, the Bureau shall, —

(a) direct the permittee in Form V, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee within a period of two months shall,—

- (i) correct the star level displayed on the label of the room air conditioner or remove the defects and deficiencies found during testing;
  - (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
  - (iii) change the particulars displayed on advertising material.
- (b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months;
- (c) intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

(5) The permittee within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (4) shall, —

(a) send the compliance report in Form VI to the Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and

(b) in case compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.

(6) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (5) to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 and enforcement of order passed under the aforesaid clause (b).

(7) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (4), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies, shall,—

(a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;

(b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14, the orders issued by the Bureau under clause (a) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 by the Central Government;

(c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner it deems fit within two months;

(d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

8. In the principal regulations, in Form II, for the existing paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“5. Where the star level plan on review is modified by the Bureau, the star level of the room air conditioner shall stand modified as follows:

- (a) if new model is launched synchronising with the revised star level, an application for such permission shall be made to Bureau six months in advance of the date from which new star level comes in to force;
- (b) where the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration in Form IV shall be submitted to the Bureau.”.

9. In the principal regulations, after Form III, the following Forms shall be inserted, namely:—

"Form IV  
DECLARATION  
[Refer Regulation 7(6)]

(For Each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of corporate body / User of Label)

Date:

To  
THE DIRECTOR GENERAL  
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY  
(MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA)  
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,  
SECTOR 1, R.K.PURAM,  
NEW DELHI-110 066  
INDIA.

**Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Label of Room Air Conditioners) Regulations, 2009 as per revision of star level effective from .....**

1. I/We are the manufacturers of Room Air Conditioner carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix label on [EQUIPMENT NAME] as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on the label of [Room Air Conditioners]) Regulations, 2009 which would go for revision of star level with effect from .....

2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF FACTORY/Importer) .....

3. Conformance to New Star Level: I/We conform to the table change as per TABLE ....as specified in the S.O. number,181(E) dated 9th January 2012 for the room air conditioner. A copy of the BEE License/certificate/approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.

4. A copy of the BEE Label (as per revision of star level change) in respect of the Room Air Conditioner is enclosed.

5. Details of the Equipment / Model as per the new Table:

**Model Name - \_\_\_\_\_**

Particulars	Values	
Cooling Capacity	--	
Power Consumption	--	
EER	--	
Star Rating	(As per existing label level )	(As per revision of star level)

6. I/We agree to change my star label from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] to [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application as well as in the online web portal.

7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said Room Air Conditioner.



8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

9. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and should any of the information supplied be found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of ..... (Year)  
 Signature .....  
 Name .....  
 Designation .....  
 For and on behalf of.....  
 .....  
 (Name of the firm)  
 SEAL OF FIRM

**FORM V**

[ Refer Regulation 11(4) ]

**Direction to Permittee on failure of Second Test checking**

To

New Delhi, dated the 201...

.....  
 .....  
 .....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2009 you were permitted to affix label on the room air conditioners vide BEE letter No. ....dated..... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau under Regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2009 dealing with verification and Testing of the air conditioner number ..... purchased from your authorised Distributor, dealer, retailer vide Invoice number .....dated for a price of Rs.....and lifted as a sample under paragraph 4 of the S.O. number.181(E), dated the 12<sup>th</sup> January, 2009 by M/s.....an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under Regulation 3 of the aforesaid Regulations, affixed by you on the aforesaid purchased room air conditioner. The sample duly sealed by M/s..... was given Unique Identification serial number embossed on the lifted sample obtained from M/s.....(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the verification Agency as well as your representatives.

3. The Bureau through its aforesaid Verification Agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s. ...., a NABL accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 3 and 4 of S.O. number 181(E), dated the 12<sup>th</sup> January, 2009 for giving Test Report in accordance with the Form given in Annexure to S.O. number 181(E), dated the 12<sup>th</sup> January, 2009.

4. The results of the Test Report on the sample bearing Unique Identification serial number is enclosed. The results of the Test Report indicated that the sampled Air Conditioner failed to meet the energy consumption standard, specified rated capacity, EER, etc. and did not conform to the Test details furnished by you in Form 1 annexed to the Application submitted by you for seeking permission to affix label on the Room Air Conditioner manufactured/imported

1888 GI/13-5

by you. The Test Results were sent to you vide BEE letter number... ..dated.....in the name of your authorised Contact person. You were also requested to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the NABL Accredited Laboratory M/s.....

5. The Sample for second check verification Test were picked up in accordance with paragraph 4 of the S.O.number 181(E), dated the 12th January, 2009 through our authorised Agency M/s. ....and transported to the NABL accredited Laboratory transported by our authorised Agency, duly sealed by M/s..... and was given Unique Identification serial number embossed on the said sample obtained from .....under signatures of the duly authorised representative of the verification Agency as well as your representatives.

6. The Test results are contained in Second Test Verification Report duly prepared checked and counter signed by the competent authorized personnel of the NABL Accredited Laboratory. The test report is also duly signed by your authorised signatory as witness of 2nd check testing. The Test Results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O. number 181(E) dated, 12th January, 2009 and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the air conditioner manufactured and sold in the market.

7. Now, therefore in exercise of the power conferred by clause (a) of sub-regulation (4) of Regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2009, the Bureau hereby direct to—

- (i) correct the star level displayed on the label of the room air conditioner or remove the defects and deficiencies found during testing;
- (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
- (iii) change the particulars displayed on advertising material.

8. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form V within 10 days after the expiry of two months i.e. by .....201... .. In case no compliance report is received by the said date the Bureau shall proceed to take action in terms of clause (b) of sub-regulation (5) of Regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2009.

9. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of regulation (4) (5) (6) and (7) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2009.

Secretary,  
Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Test reports of the failed model
2. Correspondence with the manufacturer

**Form VI**  
**Action Taken Report**  
**[Refer Regulation 11(5)]**

(To be furnished on Company's letter head)

To  
THE SECRETARY,  
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY  
(MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA)  
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,  
SECTOR 1, R. K. PURAM,  
NEW DELHI-110 066  
INDIA.

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners Regulations, 2009, we M/s.....the manufacturer of room air conditioners were permitted to affix label on the room air conditioners conforming to the energy consumption standard of .....star level vide BEE letter No.....dated.....for the model number.....

Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners Regulations, 2009, we were given the following directions. We hereby declare that the following actions have been taken at our end.

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of room air-conditioner to comply with the directions of the Bureau.	Yes/No/NA	The star level has been corrected from.....star to.....star
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn
(iii)	change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature  
Name  
Designation  
For and on behalf of.....  
Name of the Co./Firm etc.  
seal of the firm/ company".


10. In the principle regulations, for the existing schedule, the following schedule shall be substituted, namely:-

“Schedule  
[See regulation 3(2)]


1. Details of particulars to be displayed on labels of Window type Air Conditioners (Applicable up to 31<sup>st</sup> December, 2013)

(1.1) Label design, size, colour scheme and content of the label shall include —

(i) the following dimensional design of label, namely:—



(ii) the following colour scheme for the label(Window type Air conditioners), namely:—



(ii) the following colour scheme for Bureau's logo, namely:—

**BLUE –**


Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%  
Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54  
Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151  
Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%  
Web colour code - #363797

**GREEN –**

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%  
Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32  
Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87  
Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%  
Web colour code - #00AA56;

1888 GI/13-6

(iv) the following complete specimen of a printed label for Window Air Conditioner, namely:—




(1.2) Material and shape

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label.

2. Details of particulars to be displayed on labels of Split type Air Conditioners.


(Also applicable for Window type Air Conditioners after 01<sup>st</sup> January, 2014)

- (2.1) Label design, size, colour scheme and content of the label shall include -  
 (i) the following dimensional design of label, namely:—



1888 GI/13-7

(ii) the following colour scheme for the label (Split type Air conditioners), namely :—



**Note:** The colour tone at the background of Energy Efficiency Ratio Display (Green) will be similar as followed for the Bureau of Energy Efficiency Logo.

(iii) The following colour scheme for Bureau's logo, namely:—

**BLUE –**


Hue (H)-239° Saturation(S):64% Brightness (B):59%  
 Luminance or lightness (L):28, chromatic components -a:24 b:54  
 Red(R):54 Green (G):55 Blue (B):151  
 Cyan(C):97% Magenta (M):95% Yellow(Y):6% Black (K):1%  
 Web colour code - #363797

**GREEN –**

Hue (H)-150° Saturation(S):10% Brightness (B):67%  
 Luminance or lightness (L):61, chromatic components -a:-53 b:32  
 Red(R):0 Green (G):170 Blue (B):87  
 Cyan(C):81% Magenta (M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%  
 Web colour code - #00AA56;



(iv) The following complete specimen of a printed label for split type air conditioner , namely:—



(2.2) Material and shape:

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label”.

JYOTI ARORA, Director General, Bureau of Energy Efficiency

[ADVT-III/4/Exty/187-G/13]

**Foot Note.-** The principal regulations, namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2009 were notified in the official gazette in Part III, Section 4 vide number 2/11(5)/03BEE-2 dated the 6<sup>th</sup> July, 2009 and last amended vide number 2/11(5)/03BEE-2, dated the 5<sup>th</sup> January, 2010.

